

(vi)

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : ८३ / प्र०अ०(त०स०-२) / जौन-२ / २०१५-१६ दिनांक १०/०२/२०१६

### अनुमति-पत्र

गढ़ अनुमति उप्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है कि न्यू अर्ड यह न रागड़ना चाहिए कि उस पृष्ठी के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मन्याचित्र स्थीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या नियमित अधिकारी के मालिकाना अधिकारी ८८ दिनों के लिए असर पड़ेगा अशालि ४८ अनुमति किसी के मिलियत या उपरित्व के अधिकारी के विशेष कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री पीरेन्द्र लुम्बर खरबन्दा पुत्र स्व० मोहर लाल खरबन्दा द्वारा भवन रास्ता-२१ / ३९ शिव चरन लाल रोड इलाहाबाद जौन संख्या (२) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय भवन नाम्याचित्र के कुग में निम्नांकित प्रतिनिधि के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. ७०५० नार नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५८ (१) के ग्राविधानों के अनुल्प पूर्णता प्रमाण -> आप तूने के पस्तात ही उपयोग/अधिकोग किया जाएगा, भवन नियमण एवं विकास उपरित्व २००६ में उपरित्व संख्या-२१.९ ३४ ३.१.४ में नियमित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहस्यक है।
२. इन स्वीकृति अनुचित (Provisional) ल्योक्ष्य के रूप में होगी निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी अपर्याप्त Mandatory Clearances/N.O.C ली शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. अधा पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्रविकरण द्वारा स्थीकृत मान्याचित सम्बन्धी नियमण ऑफिस करना अनियाय है, जिसमें आर्किटेक्ट/स्ट्रोनीनियर के फर्म का ना. भी अंकित हो।
४. निर्मित किये जाने वाले भवन जी संरचना सुख्खा एवं नुगवता का द्वारित उपरित्व आदेक का छोगा।
५. अवस्थायान सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर नियम द्वारा मान्याचित की स्वीकृति के कम में कोई वित्तीय दैत्या/प्रातिनिय आरोग्यित किये जाते हैं तो उसका उपयोग/अनुपालन अधेदक को करना बाधकरी होगा।
६. प्रस्तुत मान्याचित स्टिल स्टिल पाइप, ब्रथम एवं डिटीय तत्त्व पर शोषण तथा हृतीय तत्त्व पर आवासीय नियमण की अनुगामी हेतु है। लट्टुसार डी निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्पृष्ट का अधिगोण/उपयोग किया जाए।
७. ग निर्माण न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति ने प्रदत्त स्वीकृति मान्याचित न्यायालय के नियंत्रण के अधीन ही है। यह स्वीकृति मू-उपरित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा दी नियसारित किया जा सकता है।
८. नियमण सांख्य पर जारी शासनावेद्य व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई सुख्खा आरोग्यित करता है तो उसे पक्षा को द्या करना होगा।
९. यदि आदेक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है उपरित्व गलत सूचना दी गयी है तो ७०५० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५८ (१) के अन्तर्गत मान्याचित नियसारित किया जा सकता है।
१०. यह स्वीकृति पत्र केवल औच्च दर्जे की अवधि के लिए है।
११. मकान निर्माण से बाहर नाली के चालक को नटरी अथवा चालक या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग और भूषण अथवा लालही आकार के कारण इक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहसामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के शीघ्र अवधावा यदि विकास प्राधिकरण ने एक स्थिति सूचना द्वारा और शोध कहा तो वहाँ हो उसे अपने संचय से न्यमत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को स्वाक्षर हो जाय, तो उसे देगा।
१२. गृह नियमण के समय इसका भी स्थान रखना होगा कि भारतीय नियुक्त अधिनियम १९५६ (इंडियन इलेक्ट्रिटी लॉल १९६३) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मान्यते पाये गये तो वह ऐसे नियमण लो रोक अवगत हटवा लकड़ा है।
१३. आदेक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छात तक बन जाने एवं उसके पूर्ण दो जाने वी सूचना मकान आवाद होने से पूर्ण देना होगा। तथा उस कादम्बी का नाम भी देना होगा जिसके नियमित में मकान नियमि लुका है।
१४. यदि निर्माण में मस्टर स्लान वा उल्लंघन होता पाया गया तो नियोगकर्ता को दी गई स्वीकृति दस लम्बी जावेगी और किया गया नियमण अनियकृत धोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आसन ली जावेगी।

/ १०२५०१८  
(पुरुष श्रीवास्तव)  
विशेष कार्यालयी

*M. Wahab*

The figure contains several architectural drawings:

- SITE PLAN:** Shows the overall land plot dimensions (28.60m x 22.90m) and the location of the building footprint. It includes labels for 'HOUSE OF OTHERS' and 'GATE'. A circular stamp is present.
- FRONT ELEVATION:** A cross-sectional view showing internal room dimensions and heights (e.g., 3.00m, 3.00m, 3.00m, 3.00m, 3.00m, 3.00m).
- SECTION A-A:** A vertical cross-section along the front elevation, showing the building's thickness and internal floor levels.
- KEY PLAN:** A plan view of the building's interior rooms, labeled with room numbers and areas.
- FIRST FLOOR PLAN:** A detailed floor plan showing room layouts and dimensions.
- SECOND FLOOR PLAN:** A detailed floor plan showing room layouts and dimensions.
- THIRD FLOOR PLAN:** A detailed floor plan showing room layouts and dimensions.